सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 175 राँची, बुधवार, 30 फाल्गुन, 1938 (श०)
21 मार्च, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

17 अक्टूबर, 2016

संख्या:- 5/आरोप-1-576/2014 का॰ 8892-- श्री रामचन्द्र भगत (कोटि क्रमांक-372/03, गृह जिला-राँची), सेवा से बर्खास्त झा०प्र०से०, के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झींकपानी, प० सिंहभूम के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभूकों को दुधारू गाय देने में धोखाधड़ी करने एवं सरकारी राशि का दुर्विनियोग करने के लिए मुफ्फसिल थाना कांड सं०-88, दिनांक 19 अक्टूबर, 1989 एवं मुफ्फसिल थाना कांड सं०-89, दिनांक 19 अक्टूबर, 1989 दर्ज की गयी थी ।

2. उक्त आरोपों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के आदेश सं०-8425, दिनांक 14 सितम्बर, 1995 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया तथा कार्मिक

एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के आदेश सं०-11176, दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 द्वारा विभाग में योगदान करने की तिथि से इस शर्त के साथ निलंबन मुक्त किया गया कि श्री भगत द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि का विनियमिन उनके विरूद्ध संचालित आपराधिक कार्रवाई के फलाफल के आधार पर किया जायेगा ।

3. श्री भगत द्वारा आवेदन, दिनांक 8 जून, 2012 के माध्यम से सूचित किया गया है कि इनके विरूद्ध दर्ज उक्त दोनों थाना कांडों से संबंधित आपराधिक कार्रवाई सं०-जी०आर० वाद सं०-384/90 एवं जी०आर० वाद सं०-385/90 में इन्हें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है । फलस्वरूप इनके द्वारा इनके निलंबन अवधि का विनियमन एवं प्रोन्नति हेतु अनुरोध किया गया है ।

4. श्री भगत से प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत सेवा संहिता के नियम-97(1) एवं (2) के आलोक में इनके निलंबन अवधि दिनांक 14 सितम्बर, 1995 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 तक को निम्नवत विनियमित किया जाता है:-

(I) इनके निलंबन अवधि दिनांक 14 सितम्बर, 1995 से दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 तक कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मानी जायेगी ।

(ii) इस अवधि में इन्हें पूर्ण वेतन देय होगा ।

साथ ही इनके विरूद्ध लोहरदगा थाना कांड सं०-12/92, जी०आर० नं०-27/92 दर्ज है, जिसमें इन्हें न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया था, जिसके लिए इन्हें संकल्प सं०-9779, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है । चूँकि वर्ष 1992 से ही इनके विरूद्ध थाना कांड दर्ज है, इसलिए इन्हें दिनांक 4 मार्च, 2001 से प्रोन्नति देय नहीं होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 175--50